

(भारत के राजपत्र के भाग I खण्ड -1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 11 अक्टूबर, 2021

संकल्प

सं. ई. 11015(1)/2019-हिंदी: गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20015/45/87-रा.भा.(क-2), दिनांक 15 मार्च, 1988 और का.ज्ञा. सं. II/20015/45/87-रा.भा.(क-2) दिनांक 04-05-1989 के अनुसरण में तथा अपने दिनांक 27 मई, 2016, 19 सितम्बर, 2016 के संकल्प सं. ई.11015/4/2014-हिंदी का अधिक्रमण करते हुए इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया गया है। इस पुनर्गठित समिति का गठन, कार्य आदि इस प्रकार होंगे:-

1. गठन

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. इस्पात मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. इस्पात राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |

गैर-सरकारी सदस्य

2. संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित लोक सभा के दो सदस्य

1	श्री संजय सेठ, संसद सदस्य (लोक सभा) करुणा सदन, वेस्ट एंड पार्क, हेहल, रांची, झारखण्ड-834005	सदस्य
2	श्री सुनील कुमार सोनी, संसद सदस्य (लोक सभा) एचआईजी-/सी-80, शैलेन्द्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़	सदस्य

3. संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित राज्य सभा के दो सदस्य

3	श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावडीया, संसद सदस्य (राज्य सभा) ए-2, उत्सव बंगलो, दीसा-पाटन हाईवे, तालुक-दीसा, जिला- बनासकांठा, गुजरात- 385535	सदस्य
4	श्री नरेश गुजराल, संसद सदस्य (राज्य सभा) 521, मॉडल टाउन, जालंधर सिटी पंजाब-144003	सदस्य

4. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित दो सदस्य

5	श्री चिराग पासवान, संसद सदस्य (लोक सभा) मंत्री जी टोला, पोस्ट-सहरबन्नी अलौली, खगडिया, बिहार	सदस्य
6	श्री दिनेश चन्द्र यादव, संसद सदस्य (लोक सभा) ग्राम- बनमा, पोस्ट आफिस- इटहरी, पी.एस. सलखुआ बाजार, जिला- सहरसा- 852126 (बिहार)	सदस्य

5. केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् /अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ के प्रतिनिधि

7	श्री गोपाल कृष्ण फरलिया, डी-2/2205, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070	सदस्य
8	श्री महेश बंशीधर अग्रवाल, प्रधान संपादक, 'मंथन' कार्यालय नं. 16 अग्रसेन टॉवर, पहला तला, प्रताप सिनेमा के पास, कोलबाड रोड, ठाणे (डब्ल्यू) (महाराष्ट्र) 400601	सदस्य

6. इस्पात मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

9	प्रो.(डॉ.) राम बचन राय, 4 एम, 138 बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, भूतनाथ रोड, पटना-800026	सदस्य
10	डॉ. अमरदीप, एचआईजी-12, ब्लाक-1, सेक्टर-7, बीएच कॉलोनी, पटना-800026	सदस्य
11	डॉ. रिंकु कुमारी, मकान नं. 27, गली नं. 10, ए-1 ब्लॉक, संत नगर, बुराड़ी, दिल्ली-110084	सदस्य
12	श्री सुधीर कसार, 22-हनुमान जी वार्ड, पोस्ट- महाराजपुर, जिला- मण्डला (मध्य प्रदेश) 481665	सदस्य

7. राजभाषा विभाग द्वारा नामित सदस्य

13	डॉ. शंकर लाल पुरोहित 105 श्रीश्रर, बालाजी कॉम्प्लेक्स, झारपाड़ा, भुवनेश्वर-751006 (ओड़िशा)	सदस्य
14	श्री देशपाल सिंह राठौर 23/672, भूतल, डीडीए फ्लैट, मदनगीर, नई दिल्ली-110062	सदस्य
15	डॉ. प्रणव शर्मा 'शास्त्री' 'कल्पतरू' ए-30, वसुंधरा कॉलोनी, पीलीभीत-262001 (उ.प्र.)	सदस्य

सरकारी सदस्य

16.	सचिव (इस्पात), इस्पात मंत्रालय	सदस्य
17.	सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
18.	अपर सचिव, इस्पात मंत्रालय	सदस्य
19.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, इस्पात मंत्रालय	सदस्य
20.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
21.	अध्यक्ष, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
22.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद	सदस्य
23.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मेकॉन लिमिटेड, रांची (झारखंड)	सदस्य
24.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मॉयल लिमिटेड, नागपुर	सदस्य
25.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, बंगलौर	सदस्य
26.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम	सदस्य
27.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता	सदस्य
28.	प्रबंध निदेशक, फैंरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, भिलाई	सदस्य
29.	संयुक्त सचिव, (राजभाषा प्रभारी), इस्पात मंत्रालय	सदस्य-सचिव

II. कार्य

इस समिति का कार्य संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम व नियम के उपबंधों, केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा जारी निदेशों, अनुदेशों के कार्यान्वयन और मंत्रालय के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

III. कार्य-अवधि

1. समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से सामान्यतः 3 वर्ष का होगा।
2. समिति के कार्य-काल के दौरान, यदि किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है तो वह उस समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।
3. विशेष परिस्थितियों में मंत्रालय द्वारा समिति का कार्यकाल कम या ज्यादा किया जा सकता है।
4. जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
5. समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे अपने उन पदों पर हैं जिनके नाते वे समिति के सदस्य हैं।

IV. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, किन्तु समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित कर सकती है।

V. यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते

- (क) राजभाषा विभाग के दिनांक 03.02.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं.॥/20034/04/2005-रा.भा. (नीति-2) के तहत, समिति में नामित सांसदों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए 'संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954' के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय होगा।
- (ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को इस समिति के उच्च स्तरीय स्वरूप के दृष्टिगत राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ॥/20034/04/86-रा.भा.(नीति-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित/ निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा-भत्ता/ दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; महालेखाकार, केंद्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(टी. श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23063872

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय
फरीदाबाद (हरियाणा)



अनुरोध है कि जिस राजपत्र में यह संकल्प प्रकाशित हो उसकी प्रति इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजे।

प्रतिलिपि प्रेषित:

	समिति के सभी सदस्य
	भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
	राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
	प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
	मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
	लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
	राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
	नीति आयोग, नई दिल्ली
	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
	महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली
	संसद पुस्तकालय (4 अतिरिक्त प्रतियां)
	इस्पात मंत्री के निजी सचिव
	इस्पात राज्य मंत्री के निजी सचिव
	सूचना अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त सरकारी निर्णय के बारे में एक प्रेस नोट जारी किया जाए।
	इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय/उपक्रम
	संसदीय कार्य मंत्रालय, 86 बी, संसद भवन, नई दिल्ली को उनके दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 तथा 30 सितम्बर, 2021 के का.जा. सं. 2-30(1)/2000-समिति के संदर्भ में।
	संसदीय राजभाषा समिति, 11-तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली को उनके दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 के पत्र सं. 1/14/2017 के संदर्भ में।
	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को उनके दिनांक 06.10.2021 के का.जा. सं. 11/20015/37/2014/रा.भा./हि.स.स. के संदर्भ में।
	केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, नई दिल्ली को उनके दिनांक 06.01.2020 के पत्र सं. 4/1/2019-परिषद/हिसस/2 के संदर्भ में।
	राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, हिंदी नगर, वर्धा- 442003 को उनके दिनांक 22/01/2020 के पत्र क्रमांक सं. प्रचार/इस्पात मंत्रालय/हिं.स.स.22/243 के संदर्भ में।
	सभी राज्य सरकारें और संघ शासित प्रदेश प्रशासन।
	इस्पात मंत्रालय के सभी अधिकारी/प्रभाग/डैस्क

(टी. श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23063872

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I, SECTION-I)

Government of India
Ministry of Steel

Udyog Bhawan, New Delhi.

Dated : 11 October, 2021

RESOLUTION

No. E. 11015(1)/2019-Hindi : In pursuance of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language O.M. No. II/20015/45/87-O.L.(A-2) dated 15th March, 1988 and O.M. No. II/20015/45/87-O.L.(A-2) dated 04-05-1989 and in supersession of its Resolution No. E.11015/4/2014-Hindi dated 27th May, 2016 and 19th September, 2016, Ministry of Steel, Government of India have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry. The composition, functions etc. of the reconstituted Samiti will be as given hereunder:

I COMPOSITION

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Minister of Steel | Chairman |
| 2. Minister of State for Steel | Vice-Chairman |

NON-OFFICIAL MEMBERS

2. Two members of Parliament (Lok Sabha) nominated by Ministry of Parliamentary Affairs

1	Shri Sanjay Seth Member of Parliament (Lok Sabha) Karuna Sadan, West End Park, Hehal, Ranchi Jharkhand 834005	Member
2	Shri Sunil Kumar Soni, Member of Parliament (Lok Sabha) HIG/C-80, Shailendra Nagar, Raipur, Chhattisgarh	Member

3. Two members of Parliament (Rajya Sabha) nominated by Ministry of Parliamentary Affairs

3	Shri Dineshchandra Jemalbhair Anavadiya Member of Parliament (Rajya Sabha) A-2. Utsav Bunglows, Deesa-Patan Highway, At. Deesa, Ta. Deesa, Dist.-Banaskantha, Gujarat – 385535	Member
4	Shri Naresh Gujral, Member of Parliament (Rajya Sabha) 521, Model Town, Jalandhar City, Punjab-144003	Member

4. Two members of the Committee of Parliament on Official Language

5	Shri Chirag Paswan, Member of Parliament (Lok Sabha) Mantri Ji Tola, Post-Saharbanni, Aloli, Khagaria, Bihar	Member
6	Shri Dinesh Chandra Yadav, Member of Parliament (Lok Sabha) Vill.Banma P.O. Itahari, P.S. Salkhua Bazar, Dist. Saharsa- 852126 Bihar	Member

5. Representatives of Kendriya Sachivalay Hindi Parishad/Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh

7	Shri Gopal Krishan Farliya, D-2/2205, Vasant Kunj, New Delhi-110 070	Member
8	Shri Mahesh Banshidhar Agrawal, Pradhan Sampadak, 'Manthan' Karyalay No. 16, Agrasen Tower 1 Floor, Near Pratap Cinema, Kolbad Road, Thane (W)-400601 (Maharashtra)	Member

6. Members nominated by Ministry of Steel

9	Prof. (Dr.) Ram Bachan Rai, 4 M. 138, Bahadurpur Housing Colony, Bhutnath Road, Patna- 800026	Member
10	Dr. Amardeep, HIG-12, Block-1, Sector-7, BH Colony, Patna- 800026	Member
11	Dr. Rinku Kumari, House No. 27, Gali No. 10, A-1 Block, Sant Nagar, Burari, Delhi-110084	Member
12	Shri Sudhir Kasar, 22 Hanuman ji Ward, Po. Maharajpur, Dist. Mandala (M.P.) 481665	Member

7. Representatives nominated by Department of Official Language

13	Dr. Shankar Lal Purohit 105 Shrishrar Balaji Complex Jharpada, Bhubaneswar Odisha -751006	Member
14	Shri Deshpal Singh Rathore 23/672, Ground Floor, DDA Flat, Madangir, New Delhi -110062	Member
15	Dr. Pranav Sharma 'Shastri ' 'Kalpataru' A-30, Vasundhara Colony, Pilibhit- 262001 (U.P.)	Member

8. OFFICIAL MEMBERS

16.	Secretary (Steel) Ministry of Steel	Member
17.	Secretary, Department of Official Language	Member
18.	Additional Secretary, Ministry of Steel	Member
19.	Additional Secretary & F.A., Ministry of Steel	Member
20.	Joint Secretary, Department of Official Language	Member
21.	Chairman, SAIL, New Delhi	Member
22.	Chairman-cum-Managing Director, NMDC Limited., Hyderabad	Member
23.	Chairman-cum-Managing Director, MECON Limited., Ranchi	Member
24.	Chairman-cum-Managing Director, MOIL Limited, Nagpur	Member
25.	Chairman-cum-Managing Director, KIOCL Limited, Bangalore	Member
26.	Chairman-cum-Managing Director, Rashtriya Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam	Member
27.	Chairman-cum-Managing Director, MSTC Limited, Kolkata	Member
28.	Managing Director, FSNL Limited, Bhilai	Member
29.	Joint Secretary, (In-charge of Official Language) Ministry of Steel	Member-Secretary

II FUNCTIONS

The functions of the Samiti will be to render advice with regard to the implementation of the provisions relating to Official Language contained in the constitution, Official Languages Act and Rules, and policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) relating to official language and also in regard to the progressive use of Hindi in the Ministry.

III TENURE

1. The tenure of the Samiti will be ordinarily for 3 years from the date of its constitution.
2. If a person is nominated as Member in the middle of the term, he will hold the office for the residual term of the Samiti.
3. In special circumstances, the tenure of the Samiti may be curtailed or enhanced by the Ministry.
4. Member of Parliament who are the members of Committee shall cease to be members as soon as they cease to be Member of Parliament.
5. Ex-officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are members of the Samiti.

IV GENERAL

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi, but if considered necessary it may hold its meetings at any other place also.

V T.A. AND OTHER ALLOWANCES

- (a) The Members of Parliament nominated in the Samiti, will be paid Travelling Allowance/Daily Allowance as per the provisions in the “Members of Parliament (Salary, Allowance & Pension) Act, 1954” and amendments issued from time to time and rules made thereunder vide Department of Official Language Office Memorandum No. II/20034/04/2005-O.L (Policy-2), dated 03 February, 2006 for participating in meetings of the Samiti.
- (b) Travelling Allowance/Daily Allowance to other non-official members of the Samiti, will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language O.M. No.II/22034/04/86-OL(A-2) dated 22.1.1987 keeping in view the high level status of the Committee and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Steel, all State Governments and Union Territory Administrations, President Secretariat, Prime Minister’s Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Niti Aayog, Comptroller and Auditor General of India; Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the resolution be Published in the Gazette of India for General information.

(T. Srinivas)
Joint Secretary to the Govt. of India
Tel.: 011- 23063872

Manager,
Government of India Press
FARIDABAD (Hariyana)

}

It is requested that a copy of the Gazette in which Resolution is published may be sent to the Ministry of Steel, New Delhi

Copy forwarded to :

1.	All Members of the Samiti
2.	All Ministries and Department of the Government of India
3.	President's Secretariat, New Delhi
4.	Prime Minister's Office, New Delhi
5.	Cabinet Secretariat, New Delhi
6.	Lok Sabha Secretariat, New Delhi
7.	Rajya Sabha Secretariat, New Delhi
8.	Niti Aayog, New Delhi
9.	Comptroller and Auditor General of India, New Delhi
10.	Accountant General, Central Revenues, New Delhi
11.	Parliament Library (with 4 spare copies)
12.	PS to Minister of Steel and Mines
13.	PS to Minister of State for Steel and Mines
14.	Information Officer, PIB, Shastri Bhawan, New Delhi. It is requested that a press note embodying the above decision of the Government may be issued.
15.	All Offices/Undertakings under the Administrative control of the Ministry of Steel
16.	Ministry of Parliamentary Affairs, 86-B, Parliament House, New Delhi with reference to their letter no. 2-30(1)/2000-Samiti dt. 24.10.2019 & dt.30 Sept.2021.
17.	Committee of Parliament on Official Language, 11, Teen Murti Marg, New Delhi with reference to their letter no. No. 1/14/Samiti-2017 dated 19.12.2019
18.	Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, New Delhi with reference to their letter no. 11/20015/37/2014/रा.भा./हि.स.स. dt. 06.10.2021.
19.	Kendriya Sachivalya Hindi Parishad, New Delhi with reference to their letter No.4/1/2019/Parished/HISS/2 dt. 06/01/2020
20.	Rashtra Bhasha Prachar Samiti, Wardha, Hindi Nagar, Wardha-442003 with reference to their letter no. Prchar /Ministry of Steel/H.S.S./22/243 dt. 22.01.2020
21.	All State Governments and Union Territory Administrations
22.	All Officers/Divisions/Desks of Ministry of Steel

(T. Srinivas)
Joint Secretary to the Govt. of India
Tel.: 011- 23063872